

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग
कमांक-एफ.10(37)आयु./2018 पार्ट-3 जयपुर दिनांक : 29.09.2019
--: आदेश :-

होम्योपैथिक चिकित्सा विभागान्तर्गत लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों के मध्यनजर निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/वरिष्ठ चिकित्साधिकारी ग्रेड-II का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

1	डॉ. हरिओम मीणा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी ग्रेड-II	राज. होम्यो. औषधालय, [CHC] खंडेला, सीकर।	राज. होम्यो. औषधालय सांगानेर जयपुर	डॉ. कल्पना वर्मा के स्थान पर
2	डॉ. कल्पना वर्मा	होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.औषधालय सांगानेर, जयपुर	राज. होम्यो. औषधालय, [CHC] खंडेला, सीकर।	डॉ. हरिओम मीणा के स्थान पर

नोट:-

- उपर्युक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।
- उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- जिन जिलों में विधानसभा उप चुनाव-2019 हेतु आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, वहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावे। इस क्रम में संबंधित के आदेश आदर्श आचार संहिता समाप्त होने पर क्रियान्वित किये जावें।

आज्ञा से,
एस.डी.
(आर.एन.शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर
आयुष भवन, सेक्टर-26, प्रतापनगर, जयपुर

कमांक:-प्रति 1/होम्यो.चिकि./स्थानान्तरण/2019 **5061-68** दिनांक:- **29-9-19**
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आदेश कमांक एफ.10(37)आयु./2018 पार्ट-3 दिनांक 29.09.2019 के क्रम में।
- विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल/WhatsApp करे।
- प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राज. होम्यो. चिकि./औष.।
- सम्बन्धित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ. को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/ पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो

अधिकारी / पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी कियान्वति निदेशालय / शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।

7. कार्यालय की लेखा / केश / विधि / स्टोर / सामान्य / आवक-जावक शाखा।
8. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक